

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1387

5 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों द्वारा प्रदूषण

1387. श्री अशोक महादेवराव नेते:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकारी और निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र देश में पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे संयंत्र कौन से हैं जहां प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां स्थापित की गई हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान उन पर कितना व्यय किया गया है;
- (ग) उन इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जहां प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां अभी स्थापित नहीं की गई हैं; और
- (घ) शेष इस्पात संयंत्रों में ये प्रणालियां कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री विष्णु देव साय)

(क) से (घ): पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण के मानक अधिसूचित किये हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में लोहा और इस्पात संयंत्रों को इन मानकों का अनुपालन करना होता है। ये मानक निर्धारित करते हैं कि ये यूनिटें पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं अथवा नहीं।

लोहा एवं इस्पात संयंत्रों को निर्धारित पद्धति के अनुसार केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) / प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित होती है।

प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों का नियमित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए एसपीसीबी और सीपीसीबी निरीक्षण करते हैं तथा मानकों की अवहेलना की दशा में कारण बताओं नोटिस जारी किया जाता है और गंभीर मामलों में निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए उद्योग द्वारा मानकों को पूरा करने हेतु प्रदूषण नियंत्रण के साधनों को अपग्रेड करने तक के लिए शीघ्र कार्य बंदी आदेश जारी किये जाते हैं।
